तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की तै. 07.11.2023 में जारी हुए
07-11-2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सी.पी.सी के आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2023 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए वकील अपीलान्ट ने बहस में तर्क दिया की रैस्पोडेन्ट संख्या 7 मोटा बेबा सोना का दिनांक 18.12.2021 को स्वर्गवास हो गया है। मोटा के वारिसान कायममुकामान पूर्व से ही अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट रिकार्ड पर हैं। अपीलान्ट को रैस्पोडेन्ट संख्या 7 की मृत्यु की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अपीलान्ट जिला सवाई माधोपुर में रहती है एवं रैस्पोडेन्ट व अपीलान्ट में आपस में मुकदमाबाजी की वजह से मोटा बेबा सोना के फौत होने की जानकारी नहीं मिली। इसलिए अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सका। इस तथ्य की जानकारी रैस्पोडेन्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किये जाने पर हुई। जानकारी होते ही अपीलान्ट ने फोन पर सम्पर्क किया तो बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में रैस्पोडेन्ट संख्या 7 के सामने मृतक शब्द दर्ज किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र में आधारहीन तथ्य अंकित किये गये हैं। अपीलान्टान मृतक मोटा की पुत्रियां हैं। जिनको मोटा की मृत्यु की जानकारी शुरू से ही रही है। इसके बाबजूद अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में दिनांक 20.05.2022 को मृतक मोटा को पक्षकार बनाते हुए अपील अदालत हाजा में पेश की गई है, जो कि मैन्टनेबल नहीं है, क्योंकि सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान वहीं लागू होते हैं जहां किसी पक्षकार की मृत्यु दौराने विचाराधीन प्रकरण होती है। जबकि उक्त प्रकरण में मोटा की मृत्यु अपील प्रस्तुत होने से पूर्व ही हो चुकी है। इसलिए सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट की ओर से मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश किये जाने के कारण उक्त अपील नलिटी व काबिले खारिज है। वकील रैस्पोडेन्ट ने उक्त तर्क के समर्थन में 2016 (2) आर.आर.टी. पेज 1200 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश वाद सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत आवृत नहीं होता है – वाद अकृत था – वाद पेश करने की दिनांक को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। इसलिए आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं माना गया था। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज	
7.11.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज स्वरूपी बनाम मुकेशी अपील संख्या 61/2022 (2022/00063)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.11.2023	किये जाने योग्य है। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2023 तहत सी.पी.सी. आदेश 22 नियम 4 पर बहस सुनी गई व मनन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत हांजा में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 24.05.2022 को मियाद बाहर पेश की गई है। जिसे अदालत हाजा में मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के संबंध में प्राथमिक एतराज संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने व रैस्पोडेन्ट संख्या 7 मोटा बेबा सोना का देहान्त 18.12.2021 को अपील पेश करने से पूर्व ही हो जाने व इसकी जानकारी अपीलान्टान को होने के बाबजूद भी मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाते हुए अपील पेश किये जाने व कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नलिटी है। इसलिए मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पेश की गई अपील खारिज किये जाने योग्य होने का उल्लेख किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के बाद रैस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 20.02.2023 को सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 7 की मृत्यु की जानकारी रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र से होने का उल्लेख करते हुए रैस्पोडेन्ट संख्या 7 के सामने मृतक शब्द दर्ज किये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र का भी रैस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश कर यह आपत्ति की गई कि सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान पक्षकारान की मृत्यु होने पर लागू होते हैं। उक्त प्रकरण में चूंकि अपीलान्ट द्वारा रैस्पोडेन्ट द्वारा 7 की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश की गई है। इसलिए उक्त अपील नलिटी व काबिले खारिज होने का उल्लेख किया है। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीर आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 1200 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश वाद आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत आवृत नहीं होता है – वाद अकृत था – वाद पेश करने की दिनांक को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। इसलिए आदेश 22 नियम 4 तहत सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, क्योंकि उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 7 श्रीमती मोटा बेबा सोना की मृत्यु दिनांक 18.12.2021 को होने संबंधी तथ्य को उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट की ओर से अन्य रैस्पोडेन्ट के साथ–साथ रैस्पोडेन्ट संख्या 7 श्रीमती मोटा बेबा सोना के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 24.05.2022 को अपील पेश की गई है जो कि मोटा की मृत्यु होने के बाद पक्षकार बनाते हुए पेश की गई है। वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अपीलान्टान को रैस्पोडेन्ट संख्या 7 की मृत्यु की जानकारी मुकदमाबाजी होने की वजह से नहीं हो सकी थी, इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्टान रैस्पोडेन्ट संख्या 7 की सगी पुत्रियां हैं। अतः अपीलान्ट की ओर से सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2023 उक्त अपील में पोषणीय नहीं होने के कारण वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर में वर्णित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। चूंकि अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट संख्या 7	

7.11.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज स्वरूपी बनाम मुकेशी अपील संख्या 61/2022 (2022/00063)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2023	जिसकी मृत्यु दिनांक 18.12.2021 को अपील पेश किये जाने की दिनांक 24.05.2022 से पूर्व ही हो चुकी थी। इसलिए मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश अपील नलिटी लिए हुए होने के कारण मैन्टनेबल नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील अपीलान्ट नलिटी लिए होने के कारण खारिज की जाती है। (साँवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	1447/7.11.23 से मुआमला की IDR पत्रावली वापस